न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 162/2020

साजिद पुत्र शेर मौहम्मद नवासा करीम खाँ जाति मेव निवासी घीसेडा तहसील नूँह हरियाणा

वादी

बनाम

1. जाकर
2. महमूद पिसरान करीम खां
3. सिरदार पुत्र करीम खां (फौत)
   - 3/1 हमीदी पत्नी सिरदार
   - 3/2 अकबर
   - 3/3 समीम
   - 3/4 नसीम
   - 3/5 अकरम
   - 3/6 नासिर पिसरान सिरदार
   - 3/7 हंसीरा
   - 3/8 शबनम
   - 3/9 मुन्सीरा पुत्रीयान सिरदार जाति मेव निवासी ग्राम अहलवाडी तहसील पहाडी (भरतपुर)राज0

प्रतिवादीगण

4. श्रीमान् तहसीलदार साहब एवं उपपंजीयक महोदय, पहाडी ।
5. श्रीमान शाखा प्रबन्धक महोदय, पी0एन0बी0 शाखा सोमका तहसील पहाडी

फौरमल पक्षकार

दावा अन्तर्गत धारा 88,89 ,188 आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :– श्री सतीश शर्मा वकील वादी

दिनांक :– 24/06/2022

निर्णय

पक्षकारान मुकदमें से संबन्धित कोई भी शख्स नाबालिग एवं फातरूल अक्ल नहीं है। वादी द्वारा यह दावा विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर0टी0 एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खाता संख्या 41 के खसरा नम्बर 273/0.22, 274/0.03, 275/0.03, 277/0.04, 294/0.07, 307/0.

Scanned with OKEN Scanner

04, 336/775/0.02, 554/0.37, 560/0.41, 573/0.36, 574/0.06, 575/0.11, 577/0.40, 586/0.24, 592/0.23, 593/0.11, 598/0.15, 604/0.02, 623/0.01, 645/0.33, 640/0.28, 649/0.15, 650/0.27, 651/0.53, 652/0.88, 653/0.32, 654/0.26, 655/0.25 एवं खाता संख्या 42 के खसरा नम्बर 147/0.17, 148/0.19, 151/0.21, 166/0.13, 171/0.16, 183/0.12, 185/0.18, 187/0.23, 188/0.27, 211/0.26, 219/0.13, 234/0.02, 237/0.05, 238/0.23, 246/0.33, 248/0.20, 249/0.19, 285/0.29, 293/0.43, 426/0.26, 446/0.15, 495/0.19, 504/0.30, 505/0.06, 508/0.44, 509/0.11, 510/0.24, 511/0.54, 514/0.17, 515/0.21, 533/0.17, 542/0.31, 544/0.32, 546/0.40 हैक्टर बांके ग्राम अहलवाडी तहसील पहाडी में स्थित है। जमाबन्दी में दर्ज सहकाश्तकार मरियम फौत हो चुकी है जिसके वारिसान वादी व प्रतिवादीगण है मृत्तक मरियम वादी की नानी व प्रतिवादीगण की माता है वादी व प्रतिवादीगण आपस में रिश्तदोर है । वादी प्रतिवादीगण की बहिन हसीना की एक मात्र सन्तान है जो कि फौत हो चुकी है। इस प्रकार प्रतिवादीगण वादी के रिश्ते में नाना है और वादी मृत्तक करीम खां की मृत्तक पुत्री हसीना का पुत्र है जो करीम खां का नवासा है। विवादित आराजी वादी के नाना प्रतिवादीगण के पिता करीम खां पुत्र छोटू जाति मेव निवासी ग्राम अहलवाडी तहसील पहाडी की खातेदारी की आराजी थी जो कि फौत हो चुका है वादी का नाना मृत्तक करीम खां अपने जीवन काल में वाहैसियत खातेदार काश्तकार विवादित आराजी को काबिज काश्त करता रहा लेकिन मृत्तक करीम खां काफी वृद्ध हो गया और काश्त करने में असमर्थ हो गया इसलिए काफी अरसा पूर्व करीम खां ने अपने जीवन काल में ही अपनी आराजी को अपने वारिसान को वाहिस्सा बराबर सौंप दिया। तभी से वादी विवादित आराजी पर वाहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार काबिज काश्त चला आ रहा है वादी अपनी माता हसीना के जीवन काल में उसके साथ एवं उसकी मृत्यु उपरान्त स्वयं वादी विवादित आराजी पर काबिज काश्त करता चला आ रहा है और आज भी मौके पर वाहिस्सा बराबर काबिज काश्त है। लेकिन प्रतिवादीगण द्वारा राजस्व कर्मचारियों से साज कर सम्पूर्ण विवादित आराजी पर वादी को छिपाते हुये व अन्य वारिसान फाता, सायरा, जाकरवी को बहकाकर हकत्याग कराकर राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम दाखिल खारिज संख्या 327 दिनांक 24/07/2004 को दर्ज करा लिया जो आज तक बदइस्तूर चला आ रहा है। जो कि सरासर गलत खिलाफ कानून मौका व कब्जा है। जो निरस्त किये जाने योग्य है। वादी को उक्त गलत इन्द्राज का इल्म दिनांक 02/12/2020 को नकल जमाबन्दी लेने पर हुआ । विधि वजह वादी डिक्लेशन इस आशय का जारी करा पाने का अधिकारी है कि वह अपने नाना करीम खां द्वारा छोडी गई समस्त आराजी मुत0 में मुताबिक कानून वाहिस्सा बराबर बतौर वारिस हिस्सेदार है तथा अपने आपको राजस्व रिकॉर्ड में वाहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार दर्ज करा पाने का अधिकारी है। विवादित आराजी वादी के नाना करीब खां की आराजी है और वादी करीम खां की मृत्तक पुत्री हसीना का पुत्र है। जो मुताबिक कानून करीम खां का वारिस है और बतौर वारिस आराजी में वादी का हित निहित है तथा आराजी मुत0 पर वाहिस्सा बराबर काबिज काश्त है। लेकिन प्रतिवादीगण द्वारा राजस्व कर्मचारियों से साज कर सम्पूर्ण आराजी को राजस्व रिकॉर्ड में गलत तरीके से

Scanned with OKEN Scanner

अपने नाम दर्ज करा लिया है। जिसका नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादीगण विवादित आराजी को दीगर व्यक्तियों को रहन वय मुन्तकिल करना चाहते है तथा वादी को उसके हिस्से की आराजी से बेदखल करना चाहते है। जिसकी ऐलानिया धमकी प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 02/12/2020 को बांके ग्राम अहलवाडी तहसील पहाडी में स्पष्ट शब्दों में दी है। यदि प्रतिवादीगण अपने धमकी भरे इरादे में कामयाब हो गये तो वादी को अपरमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति जर्रे नकद से कदापि संभव नहीं हो सकेगी विधि वजह वादी खिलाफ प्रतिवादीगण को जरिये डिक्री हुक्म इम्तनाई दवामी से पाबन्द करा पाने का अधिकारी है। विनाय मुखास्मत प्रथम दिनांक 02/12/2020 को प्रतिवादीगण द्वारा ऐलानिया धमकी देने पर व दोयम दिनांक 02/12/2020 को नकल जमाबन्दी लेने पर अन्दर हदूद अदालत हाजा पैदा हुई दावा अन्दर म्याद है । अतः दावा वादी निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावें। आराजी मुत0 मद नं0 2 वाद पत्र वर्णित ग्राम अहलवाडी तहसील पहाडी स्थित वादी के नाना करीम खां की खातेदारी की आराजी है। जिस पर वादी वाहिस्सा बराबर निरन्तर रूप से खातेदार काश्तकार के रूप में काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है और करीम खां का वारिस है तथा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होते चले आ रहे प्रतिवादीगण का नाम गलत इन्द्राज को कलमजन कराकर वादी वाहिस्सा बराबर दर्ज करा पाने का अधिकारी है।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । प्रतिवादीगण बाबजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं आये उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादी ने अपने दावे के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में पी0डब्लू0 1 साजिद, पी0डब्लू0 2 सलमा, पी0डब्लू0 3 शेरमौहम्मद, पी0डब्लू0 4 रजाक, के शपथ पत्र पेश किये। अन्य साक्ष्य पेश न होने पर साक्ष्य वादीगण बन्द किये गये।

वादी ने अपने दावा के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी 2075–78 नकल दाखिल खारिज संख्या 327 दिनांक 27/04/2004 फोटो प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र हसीना एवं फोटो प्रति परिवार कार्ड पेश किये।

वकील बहस वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने दावे में दर्ज तथ्यों को दोहराया ।

हमने बहस वकील वादी पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। विवादित आराजी मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड ग्राम अहलवाडी तहसील पहाडी में स्थित है। विवादित आराजी वादी के नाना प्रतिवादीगण के पिता करीम खां पुत्र छोटू जाति मेव निवासी ग्राम अहलवाडी तहसील पहाडी की खातेदारी की आराजी थी जो कि फौत हो चुका है। करीम खां पुत्र छोटू की मृत्यु के पश्चात करीम खां के 03 पुत्र, 03 पुत्रियां एवं पत्नि के नाम विरासत दर्ज की गई। प्रतिवादीगण द्वारा वारिसान फाता, सायरा, जाकरवी से हकत्याग कराकर राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम दाखिल खारिज संख्या 327 दिनांक 24/07/2004 को दर्ज करा लिया जो आज तक बदइस्तूर चला आ रहा है। विवादित आराजी वादी के नाना करीब खां की आराजी थी। और वादी करीम खां की मृत्तक पुत्री हसीना का पुत्र है। जो मुताबिक कानून करीम खां का वारिस है और बतौर वारिस आराजी में वादी का हित

Scanned with OKEN Scanner

निहित है। वादी द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्यं पी0डब्लू0 1 साजिद, पी0डब्लू0 2 सलमा, पी0डब्लू0 3 शेरमौहम्मद, पी0डब्लू0 4 रजाक, ने अपने शपथ पत्र में कथन किया है कि वादी मृतक करीम खां का नवासा एवं करीम खां की पुत्री हसीना का पुत्र है। अतः वादी अपने नाना करीम खां द्वारा छोडी गई समस्त आराजी मुत0 में मुताबिक कानून वाहिस्सा बराबर बतौर वारिस हिस्सेदार है तथा अपने आपको राजस्व रिकॉर्ड में वाहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार दर्ज करा पाने का अधिकारी है। अतः दावा वादी स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :–

दावा वादी डिक्री किया जाकर वादी को खाता संख्या 41 के खसरा नम्बर 273/0.22, 274/0.03, 275/0.03, 277/0.04, 294/0.07, 307/0.04, 336/775/0.02, 554/0.37, 560/0.41, 573/0.36, 574/0.06, 575/0.11, 577/0.40, 586/0.24, 592/0.23, 593/0.11, 598/0.15, 604/0.02, 623/0.01, 645/0.33, 640/0.28, 649/0.15, 650/0.27, 651/0.53, 652/0.88, 653/0.32, 654/0.26, 655/0.25 एवं खाता संख्या 42 के खसरा नम्बर 147/0.17, 148/0.19, 151/0.21, 166/0.13, 171/0.16, 183/0.12, 185/0.18, 187/0.23, 188/0.27, 211/0.26, 219/0.13, 234/0.02, 237/0.05, 238/0.23, 246/0.33, 248/0.20, 249/0.19, 285/0.29, 293/0.43, 426/0.26, 446/0.15, 495/0.19, 504/0.30, 505/0.06, 508/0.44, 509/0.11, 510/0.24, 511/0.54, 514/0.17, 515/0.21, 533/0.17, 542/0.31, 544/0.32, 546/0.40 हैक्टर बांके ग्राम अहलवाडी तहसील पहाडी पर मुताबिक हिस्सा खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदानुसार पर्चा डिक्री तैयार कर शामिल पत्रावली किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 24/06/2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

NOTE:- मुताबिक आदेश दिनांक 26/7/2023 वादी साजिद के निवासी धीमेड़ा के स्थान पर घासेड़ा तह. नूंह (हरियाणा) शुद्ध किया जाता है।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner